

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 14/19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मांगी पत्नि बालु बलाई निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. टमुदेवी पत्नि अम्बालाल बलाई निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पिता उदयराम बलाई निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रेमदेवी पत्नि उदयराम बलाई निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशोर पिता दीपा बलाई निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भोजराज पिता तुलछीराम जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता तुलछीराम जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रकाश पिता तुलछीराम जाट निवासी सिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय


दिनांक 04.04.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 152 में अंकित आराजी स. 519 रकबा 0.09 हैक्ट.भुमि अन्य असाराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात में विपक्षीगण आये दिन दखलअंदाजी करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण को अपने आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने मवेशी चराने व घास काटने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां परन्तु विपक्षीगण आये दिन आज कल में कराने की बात कहे कर हर बार टालमबाजी का जवाब देते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अन्तिम बार दिनांक 30.12.2018 को विपक्षीगण को उनकी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण इंकार हो गये तथा पक्का निर्माण करने लग गये जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.19 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रार्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि कय कर ली गई है परन्तु उसका नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ जिससे उसे पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः


आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 152 में अंकित आराजी स. 519 रकबा 0.09 हैक्ट.भूमि अन्य असाराजियात के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 200/- अक्षरे दो सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1000/- अक्षरे एक हजार सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा